18

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2288-दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 21-7-2014 - पारित द्वारा - तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 108 अ-12/2013-14

बद्रीप्रसाद गर्ग पुत्र रामहित गर्ग
(मृतक वारिस)
अ-गोकरणप्रसाद गर्ग ब- जयकरण प्रसाद गर्ग
पुत्रगण स्व. बद्रीप्रसाद गर्ग
स-सुश्री केशकली पुत्री स्व. बद्रीप्रसाद गर्ग
निवासीगण महादेवा वार्ड नं-30
तहसील रघुराजनगर जिला सतना -----आवेदकगण

विरूद्ध

1- मुन्ना गर्ग पुत्र काशीप्रसाद गर्ग
निवासी महादेवा तहसील रघुराजनगर जिला सतना
2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सतना ---अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री विवेक शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

यह तहसीलदार रघुराज नगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 108/13-15 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना को आवेदन देकर मौजा महादेवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 295/2 रकबा

0.332 है. के सीमांकन की मांग की। इसी दरम्यान स्व. बद्रीप्रसाद गर्ग ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो तहसीलदार रघुराजनगर की ओर कार्यवाही हेतु आने पर प्रकरण क्रमांक 108 अ 12/13-14 पॅजीबद्ध किया गया तथा तहसीलदार ने दिनांक 8-7-14 को मौके पर जाकर जांच की। तहसीलदार रघुराजनगर ने सीमांकन कराकर पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 21-7-14 पारित किया तथा सर्वे नंबर 295/1/1, 295/1/2, 295/2 के सीमांकन अनुसार नक्शा तरमीम प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो के क्रम में आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक-1 को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये। सम्यक सूचना के अभाव में दैनिक जागरण समाचार पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2016 में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया, इसके वाद भी अनावेदक क्र-1 अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के क्रम में तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एंव तहसीलदार रघुराजनगर के आदेश दिनांक 21-7-2014 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रघुराजनगर के आदेश दिनांक 21-7-14 का अंतिम पद इस प्रकार है -

**" म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 अंतर्गत मौजा महदेवा स्थित आ.नं. 295/1/1, 295/1/2, 295/2 का सीमांकन व नक्शा तरमीम प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक सतना , प0ह0महादेवा एंव मझगवां द्वारा प्रस्तुत संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन न नक्शा तरमीम प्रदार्स पी-1 दि0 18-7-14 , प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-4 को स्वीकार कर प्रमाणित किया जाता है। प्रदर्श पी-1 लगायत पी-4 इस आदेश के अंग होंगे। रा0नि0 सतना पेन्शिली कृत प्रस्तावित नक्शा ट्रेश प्रदर्श पी-2 अनुसार आवेदित भूमियों को ग्राम के मूल नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित करे। "**

स्पष्ट है कि मूल मामला मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत भूमि सर्वे क्रमांक 295/2 रकबा 0.332 है. के सीमांकन तक था और जब वाद विचारित भूमि नक्शे में प्रथक दर्शित नहीं थी तब सीमांकन कार्य नक्शे में चिन्हित एंव दर्शित हुये बिना किस प्रकार सीमांकित की गई, सीमांकन

कार्यवाही दूषित प्रक्रिया पर आधारित होना पाई गई है क्योंकि सीमांकन कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत की जाती है जिसकी अधिकारिता राजस्व निरीक्षक को भी है इसके विपरीत नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 सहपठित 125 के अधीन तहसीलदार द्वारा की जाती है और दोनों धाराओं के अंतर्गत प्रकरण अलग अलग मदों में दायर किये जाकर कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार सीमांकन के प्रकरण में सीमांकन के साथ नक्शा तरमीम कार्यवाही करना दूषित प्रक्रिया पर आधारित कार्यवाही है। अच्छेलाल तथा एक अन्य विरुद्ध श्रीमती सुशीला तथा अन्य 1997 रा0नि0 353 का दृष्टांत है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 तथा 129 - सीमांकन के लिये मामला - उपखंडों में विभाजित होने के लिये एक बड़ा सर्वेक्षण संख्यांक - प्रथमतः धारा 70 के अधीन नक्शे को सही कराया जाना चाहिये - तत्पश्चात् सीमांकन संभव है। फलतः तहसीलदार रघुराज नगर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/13-15 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2014 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानीं आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार रघुराज नगर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 108/13-15 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 21-7-2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार रघुराजनगर उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करें तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर